आखिरी जांच: 4 अक्टूबर 2026 · Education Department (through Bihar State Education Finance Corporation Ltd.)

Bihar Student Credit Card Scheme

बिहार सरकार की यह शिक्षा ऋण योजना 12वीं पास उन विद्यार्थियों के लिए है जो आगे पढ़ना चाहते हैं। ऋण बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम देता है और इससे फीस व पढ़ाई का खर्च चलता है।

क्या मिल सकता है

4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण, जो अब सभी आवेदकों को बिना ब्याज के दिया जाता है। फीस सीधे संस्थान को जाती है, और हॉस्टल से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को रहने और किताबों के लिए तय रकम भी मिलती है। कोर्स खत्म होने के एक साल बाद से वापसी शुरू होती है: 2 लाख रुपये तक का ऋण 84 मासिक किस्तों तक और उससे बड़ा ऋण 120 किस्तों तक में लौटाया जा सकता है। विद्यार्थी की मृत्यु होने पर बाकी ऋण माफ हो जाता है।

किसके लिए है

बिहार के निवासी जिन्होंने 12वीं (पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं) पास की है और किसी मान्यता वाले उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया है या चुने गए हैं।

मुख्य शर्तें

- आप बिहार के निवासी हों और बिहार के किसी मान्यता वाले संस्थान से 12वीं (पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं) पास हों। झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती प्रखंडों के स्कूल से पास बिहार के मूल निवासी भी आवेदन कर सकते हैं।
- आपने मंजूर सूची के किसी कोर्स में, संबंधित नियामक से मान्यता वाले उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया हो या दाखिले के लिए चुने गए हों।
- आवेदन की तारीख पर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा न हो। जिन तय स्नातकोत्तर कोर्स में स्नातक जरूरी है, उनके लिए सीमा 30 साल है।
- एक ही स्तर की दूसरी डिग्री, जैसे दूसरा बीए या बीएससी, के लिए ऋण नहीं मिलता। तकनीकी और प्रबंधन कोर्स पर यह नियम लागू नहीं है।
- ऋण की अगली किस्त तभी मिलती है जब आप उसी कोर्स में पढ़ाई जारी रखते हैं।

दस्तावेज़

- विद्यार्थी और सह-आवेदक का आधार कार्ड
- 10वीं, 12वीं (पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं) और आखिरी पास परीक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
- छात्रवृत्ति या निःशुल्क शिक्षा का प्रमाण पत्र, अगर हो
- विद्यार्थी के बैंक पासबुक की कॉपी जिसमें शाखा का नाम, खाता संख्या और IFSC हो
- दाखिले का प्रमाण पत्र जिसमें कोर्स की अवधि लिखी हो (बिहार के बाहर के संस्थान के लिए कोर्स विवरणिका)
- संस्थान से मिला कोर्स फीस का विवरण
- विद्यार्थी और सह-आवेदक (माता, पिता, पति या अभिभावक) की दो-दो पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास का प्रमाण, जैसे निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक का पहला पेज, बिजली या फोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी

आवेदन कैसे करें

1. 7 निश्चय युवा उपमिशन (MNSSBY) पोर्टल या उसके मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करें। सामान्य जानकारी भरें और मोबाइल व ईमेल पर आए OTP से पुष्टि करें।
2. व्यक्तिगत जानकारी का फॉर्म भरें, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फॉर्म चुनें और कोर्स व सह-आवेदक की जानकारी भरें। ऑनलाइन कोई कागजात अपलोड नहीं करना है।
3. आवेदन की PDF प्रिंट करें, उस पर हस्ताक्षर करें, अपनी और सह-आवेदक की पासपोर्ट फोटो लगाएं और सभी कागजात की स्व-सत्यापित कॉपी व मूल प्रति लेकर अपने जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) जाएं।
4. DRCC और सत्यापन एजेंसी की जांच के बाद बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ऋण पर फैसला करता है। क्रेडिट कार्ड लेने और ऋण के कागज पूरे करने के लिए आपको SMS और ईमेल से DRCC बुलाया जाता है।
5. ऋण की रकम संस्थान या आपके खाते में भेजी जाती है। हर अगली किस्त के लिए पिछले साल या सेमेस्टर में पास होने का प्रमाण लेकर DRCC पर आवेदन करें।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/resources/New_Guideline_Final_Update1.pdf
आधिकारिक आवेदन: https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/
आधिकारिक PDF: https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/resources/New_Guideline_Final_Update1.pdf
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/bihar/br-student-credit-card/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।